

**विज्ञप्ति**

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार जिले की 10 पंचायत समितियों की 374 ग्राम पंचायतों में महात्मा गाँधी नरेगा एवं इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं ग्राम सभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्णतः जॉब कार्य आधार पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) व ग्राम संसाधन व्यक्तियों (GRP)के चयन/पैनल के लिए निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

विवरण	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु	संभावित संख्या	प्रति कार्य दिवस निर्धारित मानदेय	आवेदन जहाँ करना है	आवेदन की अन्तिम तिथि
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	स्नातक या समकक्ष अनुभव एवं सदस्यता - प्राथमिक पणधारियों और सिविल सोसायटी ( जैसे-भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन) से ऐसे व्यक्ति जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। सेवा निवृत्त केन्द्र, राज्य, बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का अनुभव हो।	21 से 65वर्ष	98	325/-रु	पंचायत समिति कार्यालय	19.4.2016
ग्राम संसाधन व्यक्ति (GRP)	माध्यमिक (12 वीं पास या स्नातक को वरीयता) अनुभव एवं सदस्यता- प्राथमिक पणधारियों और सिविल सोसायटी संगठनों ( जैसे-भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन जैसे महिला सहायता समूह) से ऐसे व्यक्ति जिनको जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव है।	21 से 65 वर्ष	945	225/-रु	ग्राम पंचायत कार्यालय	19.4.2016

नोट:-आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सेवा सम्बन्धी विस्तृत विवरण/शर्तें दस पंचायत समिति कार्यालयों एवं जिले की वेबसाईट [bharatpur.rajasthan.nic.in](http://bharatpur.rajasthan.nic.in) पर उपलब्ध है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गाँधी नरेगा)  
एवं जिला कलक्टर, भरतपुर

क्रमांक:- महात्मा गाँधी नरेगा/सामा.अंके/ 2016-17/8200

दिनांक:- 11/4/16

प्रतिलिपि:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में करावें।
2. विकास अधिकारी समस्त को विभागीय पत्रांक 14184-96 दिनांक 29.03.2016 द्वारा निर्देशित किया जाता है कि बीआरपी / जीआरपी चयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गाँधी नरेगा)  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, ग्राविप्र भरतपुर